	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	आश्विन 23, बुधवार, *शाके* 1947- अक्टूबर 15, 2025 Asvina 23, Wednesday, Saka 1947- October 15, 2025	

भाग 5 (घ)

भारत के निर्वाचन आयोग की विज्ञप्तियां आदि।

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 15, 2025

संख्या :एफ.8(2)(20)/निर्वा/2018/4939:– भारत निर्वाचन आयोग की विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिये मतगणना हेतु सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति संबंधी निम्न अधिसूचना सर्व साधारण के सूचनार्थ प्रकाशित की जाती है।

नवीन महाजन,
प्रमुख शासन सचिव।

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड,नई दिल्ली-110001

दिनांकः 14अक्तूबर, 2025

22 आश्विन, 1947 (शक)

अधिसूचना

434/राज.वि.स./2023(2)- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना संख्या 434/राज.-वि.स./2023(2) दिनांक 18 जुलाई, 2023, समय समय पर यथा संशोधित, में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करता हैं।

राजस्थान राज्य के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारियों की सहायता करने के लिए सहायक रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति से संबंधित उक्त अधिसूचना से संलग्न तालिका के स्तम्भ (2) में, स्तम्भ (1) की प्रत्येक मद के सामने विद्यमान प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित संगत प्रविष्टियाँ क्रमशः जोडी जाएंगीः-

तालिका

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम	सहायक रिटर्निंग अधिकारी
(1)	(2)
193-अंता	4. उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, छीपाबडौद (बांरा)

स्तम्भ 2 में यथा उल्लिखित उपर्युक्त अधिकारी राजस्थान राज्य के **193-अंता विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र** के उप-निर्वाचन, 2025 के सम्पन्न होने के साथ सहायक रिटर्निंग अधिकारी के रूप में कार्य करने से परिविरत हो जाएंगे।

आदेश से,

सुमन कुमार दास,
सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA
NirvachanSadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

Dated: 14thOctober, 2025
22 Asvina, 1947(Saka)

NOTIFICATION

No. 434/RJ-LA/2023(2):-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 22 of the Representation of the People Act,1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby makes the following amendments in its Notification No. 434/RJ-LA/2023(2), dated 18thJuly, 2023, as amended from time to time.

In Column (2) of the table appended to the said notification relating to the appointment of Assistant Returning Officer(s) to assist the Returning Officer of the Assembly Constituencies in the State of Rajasthan, after the existing entries against each of the item in Column (1), the following corresponding entries shall respectively be added: -

TABLE

No. & Name of Assembly Constituency	Assistant Returning Officer
1	**2**
193-Anta	4. Sub Divisional Officer & Sub Divisional Magistrate, Chhipabarod (Baran)

The above officer, as mentioned in column (2) of the table shall cease to function as Assistant Returning Officer with the completion of the Bye Election to the**193-Anta Assembly Constituency** of the Legislative Assembly of Rajasthan State, 2025.

By Order,

SUMAN KUMAR DAS,
SECRETARY.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।